न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, पीलीभीत।

पीठासीनः विजय कुमार हिमांशु , एच 0 जे0 एस 0

नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1010/2026

सरकार **बनाम** लखबिंदर सिंह व एक अन्य।

मु०अ०सं०–170/2026

अंतर्गत धारा– 8/21/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट।

थाना–जहानाबाद, जिला–पीलीभीत

17.06.2026

जमानत आदेश

1. **भूमिका–**यह जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण लखबिंदर सिंह पुत्र भागीरथ मौर्य व ओमकार मिश्रा पुत्र ऋषि कुमार मिश्रा के जानिब से उपरोक्त प्रकरण में अं.धा–8/21/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट में उपस्थापित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के जानिब से द्वारा स्वयं का इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में जेरे समात नहीं है।
2. **अभियोजन पक्षकथन**– अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उप० नि० अमर कुमार, द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी, जिसके कथनानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.2026 को उप निरीक्षक मय हमराही कर्मचारीगण देखभाल क्षेत्र शांति व्यवस्था में मामूर होकर ग्राम अकबरगंज पहुंचे। तभी जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम गीता पैट्रोल पंप से थोड़ा आगे रोड किनारे एक साथ दो कार जिसमें एक सफेद व एक ग्रे रंग की खड़ी है जिसमें से सफेद रंग की कार के पास तीन लोग आपस में एक भरे कार्टून में रखे डिब्बों व हिसाब किताब के लेन देन को लेकर विवाद कर रहे हैं, एक दूसरे की जमा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास जुर्म से संबंधित वस्तु तो नहीं है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके बताए गए स्थान पर पहुंचे तो देखा कि उन तीनों व्यक्तियों में से दो व्यक्ति ग्रे रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में जा बैठे तथा खड़ा तीसरा व्यक्ति पास में रखे कार्टून को उस सफेद रंग की कार में रखने लगा। यकीन होने पर कि इनके पास कोई संदिग्ध सामान है तब पुलिस वालों ने मौके पर ही तीनों व्यक्तियों को दोनों कार में पकड़ लिया तथा इनमें से ग्रे रंग की स्विफ्ट कार में बैठे हुये दोनों व्यक्तियों से नावक्त खड़े होने का कारण पूछा तो दोनो ने एक स्वर में बताया कि हम लोगों के पास एक कार्टून अल्प्राजोलम नशीली टैबलेट थी जो हमने आईटेंव्टी वाले फुरकान को 50,000/ रू में बेच दी। पकड़े गये व्यक्तियो को धारा–50 एन.डी.पी.एस. एक्ट से अवगत कराया गया व अवगत कराया गया कि वे अपनी जमा तलाशी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देने के लिये स्वतंत्र हैं जिस पर उनकी स्वीकृति से क्षेत्राधिकारी सदर को फोन किया गया वह कुछ समय पश्चात मौके पर आ गये। सहमति पत्र तैयार किया जाने के पश्चात पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तथा जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम लखबिंदर सिंह पुत्र भागीरथ मौर्य मूल निवासी मोहन नगर पुनायत रोड थाना कोतवाली, पीलीभीत बताया जिसकी जामा तलाशी में पहने पैंट की दाहिनी जेब से दो अदद मोबाईल फोन व बायी जेब से 3300 रू/ बरामद हुये तथा उरोक्त द्वारा बताया गया कि उसने यह 02 कोर्टून माल योगश मौर्या पुत्र तरूण कुमार मौर्य निवासी शंकरपुर थाना भीरा, लखीमपुर खीरी से खरीदा था। दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम ओमकार मिश्रा पुत्र ऋषिकुमार मिश्रा निवासी ग्राम टेहरा सेरी पलिया थाना पलिया, लखीमपुर बताया जिसकी जाम तलाशी से 1000/ रू बरामद हुये, उक्त दोनों की गाडी की डिग्गी में पकडे गये नशीली दवाइयों के डिब्बे के कार्टून के बारे में पूछने पर दोनों ने बताया कि यह अवैध नशीली अल्प्राजोलम टैबलेट का कार्टून है। इसमें कुल 100 डिब्बे भरे हैं। जिनमें से एक डिब्बे के अन्दर कुल 12 पत्ते जिसमे प्रत्येक में 600 टैबलेट हैं। बरामद हुये कार्टून के बाहर A.T. PACKING 12X05X10 600 TAB. QTY: 100 BOX लिखा है। यह 50,000/– रुपये अभी फुरकान को 100 डिब्बों के कार्टून को बेचकर लिये हैं, पकडे गई दूसरी कार I20 कार जिसमें पकडे गये तीसरे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये इसकी जामा

Digitally signed by VIJAY KUMAR HIMANSHU
Date: 2026.06.17 15:48:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम फुरकान पुत्र मो० यामीन निवासी ग्राम करगैना थाना अमरिया जनपद पीलीभीत बताया इसकी जामा तलाशी से इसकी उक्त कार में एक कार्टून के अन्दर 100 डिब्बे अल्प्राजोलम नशीली टैबलेट के हैं, जिनमें से एक डिब्बे के अन्दर कुल 12 पत्ते जिसमे प्रत्येक में 600 टैबलेट हैं, बरामद हुये हुये कार्टून के बाहर A.T. PACKING 12X05X10 600 TAB. QTY: 100 BOX लिखा है। और फुरकान ने बताया कि यह खरीदा हुआ माल नशा करने वाले आने जाने वाले लोगों को बेच देता हूं। तथा तीनों ने बताया की मोटा मुनाफा कमाने के लिये यह काम करते हैं। अभियुक्तगण द्वारा किये गये कृत्य को 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट से अवगत कराकर हिरासत पुलिस में लिया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उनके फाजिल अधिवक्ता एवं राज्य के जानिब से फाजिल अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क विस्तृत रूप से सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4. **<u>आवदेक/अभियुक्त की ओर से अभिवाकः–</u>**आवेदकगण/अभियुक्तगण के जानिब से फाजिल अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कहा गया है कि उन्हें इस अभियोग में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिगण दिनांग 08.05.2026 को नैनीताल घमने जा रहे थे कि रास्ते में थाना पुलिस द्वारा प्रार्थीगण को रोक लिया गया और थाना पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे कि यह व्यक्तिब बाहर के हैं इन पर यह कार्यवाही ठीक रहेगी थाना पुलिस प्रार्थीगण को बिना कुछ बताये थाने ले गयी और प्रार्थीगण का अभियान के तहत फर्जी मुकदमें में चालान कर दिया। दर्शायी गयी बरामदगी झूठी व फर्जी है। उक्त वाद का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पुलिस द्वारा धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का पालन नहीं किया गया है। बरामदगी संदिग्ध है। प्रार्थीगण का कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न ही लगा है और न ही पूर्व में योजित किया गया है न ही कोई वर्तमान में विचाराधीन है। प्रार्थीगण 09.05.2026 से जिला कारागार पीलीभीत में निरूद्ध है। अतः प्रार्थना की गयी है कि उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये दौरान मुकदमा प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

5. **<u>अभियोजन पक्ष की ओर से अभिवाकः–</u>**अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए प्रतितर्क दिया गया है कि अभियुक्त से अल्प्रोजोलम टैबलेट का कार्टून बरामद हुया है और जिसको अवैध रूप से खरीदा व बेचा गया जिसका विवरण लोक सेवक द्वारा मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अभियुक्त के जानिब से उपस्थापित प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

6. **<u>निष्कर्षः–</u>**अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य विवेचनात्मक सामग्री के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्तगण ओमकार मिश्रा एवं लखबिंदर सिंह को घटना स्थल पर संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया। अभियोजन कथानक के अनुसार दोनों अभियुक्त ग्रे रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में बैठे हुए पाए गए तथा उनके कब्जे एवं वाहन की डिग्गी से एक कार्टून अल्प्राजोलम नशीली टैबलेट बरामद हुई, जिसमें कुल 100 डिब्बे थे। प्रत्येक डिब्बे में 12 पत्ते तथा प्रत्येक पत्ते में 600 टैबलेट होना बताया गया है। बरामद कार्टून पर A.T. PACKING 12X05X10 600 TAB. QTY: 100 BOX अंकित था। बरामद कार्टूनों पर अंकित विवरण A.T. PACKING 12X05X10 600 TAB. QTY: 100 BOX" के अनुसार, यह मात्रा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 'वाणिज्यिक मात्रा' की श्रेणी में आता प्रतीत होता है। मौके पर गिरफ्तारी के समय अभियुक्तों ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे इस नशीली दवा के अवैध क्रय–विक्रय के संगठित कारोबार में संलिप्त हैं। अभियुक्त लखबिंदर सिंह ने उक्त माल को योगेश मौर्या से खरीदना स्वीकार किया है, जबकि सह–अभियुक्त फुरकान को यह माल बेचा गया था। यह स्पष्ट रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया एक सुनियोजित कृत्य प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, बरामदगी की भारी मात्रा और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, वर्तमान स्तर पर यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि अभियुक्तगण लखबिंदर सिंह और ओमकार मिश्रा निर्दोष हैं या उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। एन.डी.पी.एस. एक्ट के उद्देश्य और समाज पर इसके दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्तगण जमानत का लाभ पाने के अधिकारी नहीं हैं। अभियुक्तगण लखबिंदर सिंह व ओमकार मिश्रा जमानत का लाभ

प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण लखबिंदर सिंह व ओमकार मिश्रा के जानिब से उपस्थापित जमानत प्रार्थना पत्र, मु०अ०सं०–170/2026, अंतर्गत धारा–8/21/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना–जहानाबाद, जिला पीलीभीत, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–17.06.2026

(विजय कुमार हिमांशु)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03
विशेष सत्र न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),
जनपद–पीलीभीत।